



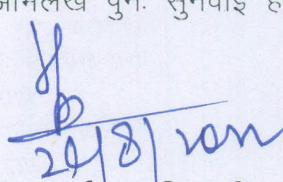
राज्यपाल सचिवालय, बिहार

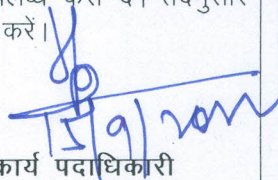
राजभवन, पटना-800022

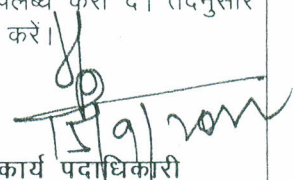
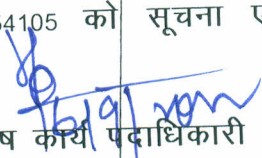
अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या-41 (लो0सू0अ0)/2022-23
श्रीवास्तव हिमांशु कुमार, मोहल्ला-गाधीनगर कटिहार, पोस्ट एवं जिला-कटिहार,
पीन-854105

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.08.2022	श्रीवास्तव हिमांशु कुमार, मोहल्ला-गाधीनगर कटिहार, पोस्ट एवं जिला-कटिहार, पीन-854105 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-17.08.2022 इस कार्यालय में दिनांक-22.08.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-56F 737341 दिनांक-अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्ता श्रीवास्तव हिमांशु कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-04.07.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से क्षुब्ध होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-04.07.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक-04.07.2022 से संबंधित अभिलेख की मांग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक-15.09.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें।  विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

	आदेश फलक	
15.09.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्रीवास्तव हिमांशु कुमार, मोहल्ला-गाधीनगर कटिहार, पोस्ट एवं जिला-कटिहार, पीन-854105 से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक-04.07.2022, (04.05.2022) (जो इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है) संलग्न आवेदन दिनांक-04.05.2022 पर कृत कार्रवाई की सूचना की माँग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक-131 दिनांक-11.06.2022 के माध्यम से आवेदक को संयुचित किया गया है कि वांछित सूचना राज्यपाल सचिवालय, पटना से संबंधित नहीं है। अपीलकर्ता श्रीवास्तव हिमांशु कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-04.07.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से क्षुब्ध होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। विदित हो कि अपीलार्थी ने प्रपत्र 'क' दिनांक-04.07.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की माँग लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से की थी:- "स्पीड पोस्ट सं.- EF471567784IN / 04-05-2022 द्वारा प्रेषित एवं दिनांक- 09.05.2022 को प्राप्त आवेदन के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न है। इसके आलोक में निम्न सूचना दी जाय। 1. आवेदन की प्राप्ति तिथि से आज तक इस आवेदन की संचिका के लिए दैनिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति देने की कृपा की जाय। 2. संचिका पर समुचित एवं विधि सम्मत आदेश हेतु जिन जिन पदाधिकारियों एवं भवदीय कार्यालय कर्मियों के पास संचिका गई उन पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा संचिका पर की गई टिप्पणी अंश की सत्यापित छायाप्रति दी जाय। 3. खासकर आवेदन की कड़िका-07,08, एवं 09 पर भवदीय स्तर से जो भी निर्णय लिया गया उनका संचिका पर टिप्पणी अंश तथा संबंधित आदेश/निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जाय। इससे संबंधित आदेश या निर्णयादेश के लिए किसी अधिकारी को कोई निर्णयादेश देने के लिए निदेशित किया गया हो तो उसकी सत्यापित प्रति दी जाय।" उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपने पत्रांक-131 दिनांक-11.06.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना/निर्णय का प्रेषण किया:- "सूचनीय है कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। आपके द्वारा माँगी गई वांछित सूचना राज्यपाल सचिवालय से संबंधित नहीं है इसलिए सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अतः संदर्भित आवेदन में माँगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।" उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे प्राप्त आवेदन दिनांक-04.05.2022 पर इस सचिवालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, तत्संबंधी सूचना एक पक्ष के अंदर नियमानुसार उपलब्ध करा दे। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।  विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

	आदेश फलक	
15.09.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्रीवास्तव हिमांशु कुमार, मोहल्ला-गाधीनगर कटिहार, पोस्ट एवं जिला-कटिहार, पीन-854105 से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक-04.07.2022, (04.05.2022) (जो इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है) संलग्न आवेदन दिनांक-04.05.2022 पर कृत कार्रवाई की सूचना की मांग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक-131 दिनांक-11.06.2022 के माध्यम से आवेदक को संयुचित किया गया है कि वांछित सूचना राज्यपाल सचिवालय, पटना से संबंधित नहीं है। अपीलकर्ता श्रीवास्तव हिमांशु कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-04.07.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से क्षुब्ध होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। विदित हो कि अपीलार्थी ने प्रपत्र 'क' दिनांक-04.07.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की मांग लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से की थी:- "स्पीड पोस्ट सं.- EF471567784IN / 04-05-2022 द्वारा प्रेषित एवं दिनांक- 09.05.2022 को प्राप्त आवेदन के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न है। इसके आलोक में निम्न सूचना दी जाय। 1. आवेदन की प्राप्ति तिथि से आज तक इस आवेदन की संचिका के लिए दैनिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति देने की कृपा की जाय। 2. संचिका पर समुचित एवं विधि सम्मत आदेश हेतु जिन जिन पदाधिकारियों एवं भवदीय कार्यालय कर्मियों के पास संचिका गई उन पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा संचिका पर की गई टिप्पणी अंश की सत्यापित छायाप्रति दी जाय। 3. खासकर आवेदन की कड़िका-07,08, एवं 09 पर भवदीय स्तर से जो भी निर्णय लिया गया उनका संचिका पर टिप्पणी अंश तथा संबंधित आदेश/निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जाय। इससे संबंधित आदेश या निर्णयादेश के लिए किसी अधिकारी को कोई निर्णयादेश देने के लिए निदेशित किया गया हो तो उसकी सत्यापित प्रति दी जाय।" उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपने पत्रांक-131 दिनांक-11.06.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना/निर्णय का प्रेषण किया:- "सूचनीय है कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। आपके द्वारा मांगी गई वांछित सूचना राज्यपाल सचिवालय से संबंधित नहीं है इसलिए सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अतः संदर्भित आवेदन में मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।" उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे प्राप्त आवेदन दिनांक-04.05.2022 पर इस सचिवालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, तत्संबंधी सूचना एक पक्ष के अंदर नियमानुसार उपलब्ध करा दे। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।  विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार दिनांक- 19-09-2022 ज्ञापांक- 1230/2022 (iii) प्रतिलिपि:- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ श्रीवास्तव हिमांशु कुमार, मोहल्ला-गाधीनगर कटिहार, पोस्ट एवं जिला-कटिहार, पीन-854105 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  विशेष कार्य पदाधिकारी	